न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 19/2019 (राजसमन्द डिक्री)

बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास जी वैरागी, नि. मकनपुरिया, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द।

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मदनदास पिता बालुदास जी वैरागी, निवासी गुड्डा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
2. शांतिदास पिता बालुदास जी वैरागी, निवासी गुड्डा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
3. श्रीमती रतनी पुत्री बालुदास जी वैरागी, निवासी गुड्डा हाल निवासी वगेरा, पोस्ट भरक, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक लेहरीबाई के वारिस)
4. चेतन पिता शंकरदास जी वैरागी, नि0 नाथजी का खेड़ा, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
5. मुकेश पिता शंकरदास जी वैरागी, नि0 नाथजी का खेड़ा, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
6. हीरा पुत्री शंकरदास जी वैरागी, निवासी गुडला, तहसील पुर, जिला भीलवाड़ा।
7. भगवानदास पिता बिहारीदास जी वैरागी, निवासी मकनपुरिया हाल निवासी पुजारी अंधेरी ओवरी केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
8. श्यामदास पिता बिहारीदास जी वैरागी, नि. मकनपुरिया, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती कमला पुत्री बिहारीदास व पत्नी रामदास वैरागी, निवासी मकनपुरिया, हाल निवासी पुजारी गायत्री मन्दिर केलवा, तहसील व जिला राजसमन्द।
10. श्रीमती राजुबाई पुत्री बिहारीदास व पत्नी गणेशदास वैरागी, निवासी टाडावाडा, गुजरान, तहसील चारभुजा, जिला राजसमन्द।
11. नोजीबाई बेवा बिहारीदास वैरागी, नि0 नाथजी का खेड़ा, तह0 सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
12. शांतिदास पिता रामचन्द्र जी वैरागी, नि. मकनपुरिया, तह. रेलमगरा, जिला राजसमन्द।
13. देउबाई पिता रामचन्द्र पत्नी भगवानदास वैरागी, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा।
14. श्रीमती कालीबाई पुत्री रामचन्द्र पत्नी जमनादास वैरागी, निवासी गलवा, तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा।
15. तुलसीबाई पुत्री मोड़ीदास पत्नी तुलसीदास वैरागी, निवासी नाथजी का खेड़ा, तहसील सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 163/2015 दिनांक 19.04.2017

———/———

उपस्थित (वक्तबहस)
1. श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सी.एस. शक्तावत अभि.रे.सं. 1, 3, 12
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16

———:::———

निर्णय **दिनांक 01–11–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पूर्वाधिकारी श्री लेहरीबाई ने एक वाद घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि ग्राम मकनपुरिया में

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 46 की आराजी नंबर 20, 24, 25 कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार खाता संख्या 23 की आराजी नंबर 23 रकबा 5 बिस्वा आ.चाह स्थित है। वादिया का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मोडीदास जी के वारिस हैं, जिसकी मृत्यु सन् 1973 में हुई, जिससे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार उनके पॉचों वारिसों का समान अधिकार था, किन्तु नामान्तरकरण पुत्रियों के नाम न खोलकर केवल पुत्र उत्तराधिकारियों के नाम खोला गया। इसी प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार मोहनदास की मृत्यु निर्वसीयती होने से नामान्तरकरण उनकी बहनों के नाम दर्ज होना चाहिए था, किन्तु नामान्तरकरण सिर्फ भाईयों के नाम खुला, जो वादिया के मुकाबले प्रारम्भ से शून्य है। वादिया का उक्त आराजियात में 3/10 हिस्सा है। अतः उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर वादिया को 3/10 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व अभिलेखों में स्वतंत्र अंकन किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19–04–2017 से वादीया का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 3, 12 की ओर से वकील श्री सी. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक माह पूर्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मौके पर कब्जा करने आये तो उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 11–03–2019 को हुई। अपीलान्ट अनपढ़ एवं ग्रामीण परिवेश के होने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–04–2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील 60 दिवस की अवधि अर्थात दिनांक 18–06–2017 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी। अपीलान्ट द्वारा करीब 1 वर्ष 10 माह देरी से अपील प्रस्तुत की है एवं देरी के जो आधार बताये हैं व न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन को जाकर अपील साथ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि वादिया ने गलत तामिल करवाकर वाद एकतरफा डिक्री करवा लिया है, जो विधि विपरीत है। अपीलान्ट नाबालिग अवस्था में मोहनदास के गोद चला गया था तथा मोहनदास की मृत्यु पर सारा क्रिया कर्म अपीलान्ट द्वारा ही किया गया। अपीलान्ट आज भी मोहनदास जी के मकान में ही रहता है, किन्तु उसकी तामिल नहीं होने से उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला है। वादग्रस्त भूमि मोडीदास की स्वअर्जित होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादिया का उक्त आराजियात में कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक पर रखकर वादिया का वाद एकतरफा डिक्री कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–04–2017 के विरूद्ध दिनांक 11–04–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–04–2017 प्रारम्भिक डिक्री किये जाने के बाद दिनांक 21–12–2017 को वादिया का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादिया ने विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में इस भूमि के अन्य आवश्यक सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वादिया का विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है। उक्त आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21–12–2017 को वादिया का वाद ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–04–2017 को कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। लेकिन अपीलान्ट ने अपील में इस तथ्य को छुपाते हुऐ दिनांक 11–04–2019 को अपील प्रस्तुत की है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। तद्नुसार अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

बद्रीदास पिता रामचन्द्रदास जी वैरागी, निवासी मकनपुरिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द बनाम **मदनदास पिता बालुदास जी वैरागी, निवासी गुड्डा, तहसील सहाडा, जिला भीलवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**19/2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**रेलमगरा** .....मुकाम.....मुवर्खे.....**.....19**.....माह.....**04**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**01**.....माह.....**11**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अक्षय पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सी. एस. शक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19–04–2017 प्रारम्भिक डिक्री जारी करने के बाद दिनांक 21–12–2017 को वादिया का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादिया ने विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में इस भूमि के अन्य आवश्यक सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिससे वादिया का विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है। जब अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21–12–2017 को वादिया का वाद ही चलने योग्य नहीं होने से खारिज कर दिया, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में जारी प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19–04–2017 को कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**01**.....माह.....**11**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:24 IST
Reason: SelfAttested